

सं. मानू/प्रशासन/एफ.102/2025-26/173

दिनांक : 29.07.2026

कार्यालय आदेश

विषय : मानू – प्रशासन – विश्वविद्यालय भवन समिति के पुनर्गठन के संबंध में।

संदर्भ : 1. कार्यालय आदेश सं. MANUU/ADMN/F.102/2025-26/168, दिनांक 22-07-2026

2. दिनांक 27-07-2026 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

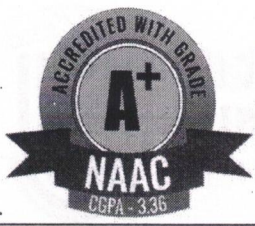
<< :: >>

प्रथम उद्धृत आदेश में आंशिक परिवर्तन करते हुए, डॉ. इक़बाल खान, प्रभारी(इलेक्ट्रिकल), इंजीनियरिंग अनुभाग को विशेष आमंत्रित के रूप में विश्वविद्यालय भवन समिति में नामित किया गया है। तदनुसार, विश्वविद्यालय भवन समिति के संशोधित गठन की संरचना निम्न प्रकार से है :

1.	कुलपति	प्रो.सैयद ऐनुल हसन	अध्यक्ष
2.	वित्त अधिकारी	डॉ.शहबाज़ अहमद	सदस्य
3.	उपयोगकर्ता विभाग के प्रतिनिधि		सदस्य
4.	कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के दो प्रोफेसर	1. प्रो. सलमान अहमद खान विज्ञान संकाय 2. प्रो.अख्तर परवीन शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य सदस्य
5.	सीपीडब्ल्यूडी एवं पीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधि जो कार्यपालक अभियन्ता के पद से निम्न न हो	श्री. एम.सीता रामा राव मुख्य अभियन्ता, सीपीडब्ल्यूडी, हैदराबाद	सदस्य
6.	विश्वविद्यालय/कॉलेज के वरिष्ठ वास्तुकार	प्रो.डी.विजय किशोर जेएनएफएयू, हैदराबाद	सदस्य
7.	इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य या विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग विभाग	डॉ.ज़ेड.ए.रहीम मानू पॉलीटेक्नीक, हैदराबाद	सदस्य
8.	विभागाध्यक्ष, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग	डॉ.मो.यूसुफ़ खान प्राचार्य, मानू पॉलीटेक्नीक, हैदराबाद	सदस्य
9.	विश्वविद्यालय अभियन्ता(इंजीनियर)	श्री मो. एजाज़ हुसैन, कार्यपालक अभियन्ता, मानू	सदस्य
10.	कुलसचिव	प्रो.एसके. इशितयाक़ अहमद	सदस्य- सचिव
11.	सहायक कुलसचिव(संपदा)	डॉ.एम.ए.खुद्दूस	विशेष अतिथि
12.	इंजीनियरिंग अनुभाग	श्री.ए.हफ़ीज़, प्रभारी(सिविल) डॉ. इक़बाल खान, प्रभारी(इलेक्ट्रिकल)	विशेष अतिथि

2. संदर्भ की शर्तें :

क. भवन समिति शिक्षा मंत्रालय/भारत सरकार को प्रस्तावित विभिन्न भवन परियोजनाओं की योजनाओं और अनुमानों को अंतिम रूप देने और भवनों के पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी और अनुमोदित योजनाओं और अनुमानों के अनुसार विश्वविद्यालय के नए निर्माण, विस्तार और नवीकरण कार्यों के लिए प्रस्तावों और बजट अनुमानों की सिफारिश करेगी।



- ख. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और विश्वविद्यालय के अपने संसाधनों से प्राप्त निधि का उपयोग करना।
- ग. कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर सौंपी गई सभी शक्तियों का प्रयोग करना; और
- घ. समिति को सौंपे गए कार्यों और उत्तरदायित्वों को सँभालने के लिए एक या अधिक समितियों का गठन करना।
3. समिति वर्ष में कम से कम दो बार, या जब भी आवश्यक हो, बैठक करेगी।
4. भवन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए भवन समिति के 50% सदस्यों की गणपूर्ति होगी। तथापि, कम से कम दो इंजीनियरों तथा एक वास्तुविद्(आर्किटेक्ट) की उपस्थिति आवश्यक है।
5. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए यात्रा/दैनिक भत्ता विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार देय होगा।
6. समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा, जैसा कि प्रथम उद्धृत आदेश में सूचित किया गया है।

सेवा में,
सभी सदस्यों को

प्रतिलिपि :

1. इंजीनियरिंग अनुभाग
2. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
3. संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक, अनुभाग/विभाग प्रभारी आदि(मुख्य कैम्पस, सटैलाइट कैम्पस, आदि)
4. सहायक कुलसचिव(संपदा व परिवहन), सहायक कुलसचिव (योजना व विकास), सहायक कुलसचिव (ई.आर-I), सहायक कुलसचिव (ई.आर-II), सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) और सहायक कुलसचिव(वित्त व लेखा)
5. डॉ. इक़बाल खान
6. निदेशक, सीआईटी – विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
7. संबंधित फाइल

कलसचिव
कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu Univ
गच्छिबौली, हैदराबाद-५०० ०३२.
Gachibowli, Hyderabad-500 032